Supplement—II

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 5-2021] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2021 (MAGHA 13, 1942 SAKA)

General Review

प्रशासकीय सुधार विभाग, हरियाणा की वर्ष 2018–19 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

दिनांक 25 जनवरी, 2021

क्रमांक नं० 4/16/2019–आर०यु०.—

हरियाणा राज्य में प्रशासकीय सुधार लाने के लिए प्रशासकीय सुधार विभाग, हरियाणा सरकार की एक नोडल एजेंसी है। प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुसार प्रशासन को और अधिक सचेत करने के अतिरिक्त उच्च प्राथमिकता के आधार पर उनकी शिकायतों के समाधान करने के लिए एक तंत्र विकसित करके यह विभाग प्रणालीगत परिवर्तन, संगठन और पद्धतियों के माध्यम से सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार लाने, विलम्ब रोकने तथा नियमितता बनाये रखने के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। सुधारात्मक कार्यों के अतिरिक्त यह विभाग सरकारी कार्यालयों के अमले की आवश्यकता के लिए जहां अतिरिक्त पदों की मांग की गई है, उनके कार्य का अध्ययन तथा जांच करता है। सरकार में सभी स्तरों पर कारगर कार्यवाही, उत्तरदायित्व, स्थायी और कुशल प्रशासन को प्रोत्साहित करने के लिए इस विभाग द्वारा निम्न बहुआयामी नीतियां अपनाई जाती हैं :–

(1) प्रबन्धन अध्ययन।

(2) शिकायती क्षेत्रों की पहचान तथा उचित कार्यवाही हेतु अध्ययन।

(3) प्रबन्ध सेवाएं।

(4) प्रशासकीय सुधारों के सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान आदि।

(5) सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार, देरी तथा कार्य के प्रति उदासीनता को कम करना।

(6) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू करना।

(7) हरियाणा राज्य सूचना आयोग से सम्बन्धित सभी मामले।

(8) सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 लागू करना।

(9) हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग से सम्बन्धित सभी मामले।

(10) हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण एवं उससे सम्बन्धित सभी मामले।

(11) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम,1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम 13) के तहत हरियाणा राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना करने एवं उससे सम्बन्धित मामले।

2. राज्य में सुशासन पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रशासकीय सुधार विभाग द्वारा सरकार के विभिन्न विभागों तथा संगठन एवं विधिक गतिविधियों के लिए सहायता तथा मन्त्रणा प्रदान की जाती है, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित है :–

(1) कार्यालयों में कार्य निपटान स्तर कम करने हेतु इकहरी मिसल प्रणाली को अपनाया जाना।

(2) जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु आकस्मिक निरीक्षण एवं पूर्ण निरीक्षण की समीक्षा करना ।

(3) कार्यालय तथा कार्य प्रणाली के सरलीकरण हेतु कागजी कार्यवाही को कम करने का तरीका सुझाना।

(4) सरकारी कार्यालयों में नागरिकों के किसी उद्देश्य से बार–बार आने के अवसरों को कम करने के लिए नियमों का सरलीकरण करना ।

(5) सरकारी कार्यालयों में मिसल/कागजों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर भेजने की प्रक्रिया को नियमित करना ।

(6) हरियाणा राज्य के सभी सरकारी कार्यालयौं को समय–समय पर प्रशासनिक सुधार के लिए निर्देश जारी करना है ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सके।

(7) निजि तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से प्राप्त प्रार्थना पर शिकायतों का निवारण करने बारे कार्यवाही करना।

3. प्रशासकीय सुधार विभाग की स्थापना नवम्बर, 1983 में एक पृथक विभाग के रूप में की गई थी लेकिन इसके कार्य और सेवा अधिकार की सूचना 12 मार्च, 1988 को जारी की गई।

4. इस विभाग में पांच निम्न शाखांए बनाई हुई है :–

(1) प्रशासकीय सुधार शाखा

(2) अमला निरीक्षण ईकाई

(3) विलम्ब जांच ईकाई

(4) आर०टी०आई० सैल

(5) अनुसंधान ईकाई

5. इस विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को उनके पूरे वर्ष के लिए वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्हें सलाह दी गई कि वे अपने विभाग के विशेष महत्व के कार्य के लिए कैलेण्डर वर्ष में समय अनुसार सुधार के लक्ष्य निर्धारित करें। राज्य के सभी विभागों की सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के अन्तर्गत लाया जा रहा है ताकि विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके तथा निर्धारित अवधि में कार्य न होने की स्थिति में उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सके।

वर्ष 2018–19 के दौरान इस विभाग की प्रशासकीय सुधार शाखा द्वारा 25 शिकायतों का निपटान किया गया और आर0 टी0 आई0 एक्ट 2005 के तहत 47 आवेदन पत्र, 07 प्रथम अपीलें, तथा कार्यालय द्वारा 15 द्वितीय अपीलों का निपटान किया गया। इस शाखा द्वारा 15 अधिसूचनांए/हिदायतें/ सर्कुलर जारी किये गये हैं, जो कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की वैबसाईट पर उपलब्ध है। वर्ष 2018–19 में राज्य सूचना आयोग हरियाणा से 3 राज्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत हुए तथा 3 राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां करवाई गई। दिनांक 03.07.2018 को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उप धारा (2) के तहत सरकार द्वारा अधिरोपित शास्तियों का रजिस्टर तैयार करने हेतु दो प्रारूप ग एवं घ तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं मुख्य लेखा शीर्ष के अधीन प्राप्तियों एवं अधिरोपित लघु शीर्ष एवं उपशीर्ष की अधिसूचना जारी की गई। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम–2014 के अन्तर्गत कुल 370 सेवायें अधिसूचित करवाई गई हैं। इस शाखा द्वारा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम 13) के तहत हरियाणा राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई तथा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश किये गये एक न्यायधीश की नियुक्ति की गई है।

इस विभाग की अमला निरीक्षण इकाई द्वारा हरियाणा सिविल सचिवालय की 6 शाखाओं क्रमशः पैंशन शाखा, वेतन परिशोधन शाखा, मुद्रण शाखा, स्वास्थ्य शाखा–I, स्वास्थ्य शाखा–II व स्वास्थ्य शाखा–III का कार्याध्ययन किया गया।

इस विभाग की विलम्ब जाँच ईकाई द्वारा दिनांक 25.04.2018 को कौशल विकास एवं औधोगिक प्रशिक्षण विभाग और रोजगार विभाग, दिनांक 28.09.2018 को परिवहन विभाग, दिनांक 25.10.2018 को जिला शिक्षा अधिकारी पंचकुला, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पंचकुला, खण्ड शिक्षा अधिकारी पिंजौर, संस्कृति मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सैक्टर–20, पंचकुला, राजकीय माध्यमिक विद्यालय देवी नगर, पंचकुला एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, देवी नगर, पंचकुला व 20.12.2018 को नव सिविल सचिवालय का औचक निरीक्षण किया गया।

इस वर्ष आर0टी0आई0 सैल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त 1426 आवेदनों को धारा 6 (3) के तहत एवं 85 प्रथम अपीलें धारा 19(1) के तहत स्थानान्तरित किया गया तथा 20 द्वितीय अपीलों का धारा 19 (3) के तहत हरियाणा सूचना आयोग से निपटान करवाया गया ।

अनुसंधान ईकाई द्वारा दिनांक 04.04.2018 को कार्यालय में कार्यक्षमता बढ़ाने और विलम्ब रोकने के लिए व दिनांक 18.10.2018 को विचाराधीन पत्र/मिसल/मामलों को समय पर निपटाने हेतु हिदायतें जारी की गई एवं गत वर्ष 2017–18 की वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट प्रकाशित करवाई गई, जो कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की वैवबसाईट पर पर उपलब्ध है तथा दिनांक 21 अप्रैल, 2018 को सिविल सर्विस डे का आयोजन करवाया गया। इस ईकाई द्वारा ''टीम हरियाणा फॉर परिवर्तन'' कार्यक्रम के तहत 50 खण्डों में प्रदर्शन, सुधार एवं परिवर्तन लाने हेतु प्रशासकीय सचिव/वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवायें, भारतीय वन सेवायें के अधिकारियों की खण्ड आबंटित किये गये ताकि उनके जनहित कार्यों का शीघ्रता से निपटान किया जा सके।

6. इस विभाग द्वारा प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया गया और हरियाणा राज्य सूचना आयोग बनाया हुआ है। इस सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2018–19 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 9588 अपीलें प्राप्त हुई, जिनमें से 9153 अपीलों का निपटान किया गया और 379 उत्तरदायी व्यक्तियों पर 62,11,750/–रू0 का जुर्माना लगाया गया और 55 केसों में 9,06,959/–रू0 का जुर्माना वसूल किया गया। कलैण्डर वर्ष 2018 में आयोग द्वारा धारा 20(1) के तहत 305 केसों में 60,69,500 रूपये की राशि के जुर्माने लगाये गये, धारा 19(8)(बी) के तहत 141 केसों में 4,74,000 रूपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाई गई, धारा 20(2) के तहत 383 केसों में अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की गई। वर्ष 2018–19 में आयोग से तीन राज्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत हुए थे और तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां की गई। इस वित्तीय वर्ष में आयोग को 958.30 लाख रूपये आबंटित किये गये, जिसके विरूद्ध आयोग द्वारा 863.59 लाख रूपये खर्च किये गये।

7. सभी विभागों/संगठनों द्वारा परिपालित की जा रही विभिन्न जन सेवा स्कीमों का समय पर लाभार्थी को लाभ मिल सके एवं समय पर लोक कार्यों का निपटान करने हेतु हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 लागू किया गया है। इस वर्ष तक हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत कुल 370 सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। इस वर्ष आयोग में प्राप्त 43 केसों में से 34 केसों का निपटान किया गया और आयोग द्वारा 14 व्यक्तियों पर 53,500–00 रूपये का जुर्माना किया है। इस वर्ष में आयोग द्वारा 271.29 लाख रूपये खर्च किये गये हैं।

8. हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य में सभी नागरिकों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों, सेवाओं और स्कीमों के उपयोग की सरलता तथा गुणवता बढ़ाने के लिए तथा उत्पीड़न से छुटकारा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण (एच0जी0आर0ए0) का पांच वर्ष हेतु गठन किया हुआ है। जिसकी अधिसूचना क्रमांक 4/30/2017–आर0यू0, दिनांक 04.01.2017 को जारी की गई है और इस प्राधिकारण की अधिसूचना के अनुसार मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक अधिकारिता समिति का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य एच0जी0आर0ए0 द्वारा की गई सिफरिशों को सुनिश्चित करते हुए लागू करवाना है और अधिसूचना के शासन संरचना अनुसार विशेष कार्यों के क्षेत्रों की पहचान हेतु 07 टास्क ग्रुप्स भी बनाये हुए थे। दिनांक 04.01.2019 को 02 नए टास्क ग्रुप बनाये गये। अब कुल 09 टास्क ग्रुप्स हो गए है। एच0जी0आर0ए0 द्वारा वर्ष 2018–19 में 08 साधारण बैठकें बुलाई गई तथा विशेष कार्य क्षेत्रों से सम्बन्धित मामलों में बनाए गए टास्क ग्रुप्स द्वारा 17 बैठकें बुलाई गई तथा उन द्वारा की गई सिफारिश अनुसार विभिन्न विकास कार्यक्रमों, सेवाओं और स्कीमों के उपयोग की सरलता तथा गुणवता बढ़ाने हेतु 4 स्टेट्स रिर्पोट्स प्रकाशित की गई। इस वित्तीय वर्ष में हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण द्वारा 52.17 लाख रूपये खर्च किये गये हैं।

9. प्रशासकीय सुधार विभाग में चौकसी जांच से सम्बन्धित कोई केस लम्बित नहीं है।

10. वर्ष 2018–19 में श्री डी0 एस0 ढेसी, भा0प्र0से0, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार इस विभाग के प्रशासकीय सचिव रहे। दिनांक 01.04.2018 से 14.11.2018 तक श्री देवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0 एवं दिनांक 16.11.2018 से 31.03..2019 तक श्री टी0 सी0 गुप्ता, भा0प्र0से0 इस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे और उनके कार्यों में उनकी सहायता करने के लिए श्रीमती सन्तोष कुमारी बतौर अवर सचिव, श्री राकेश कुमार, अनुसंधान अधिकारी तथा श्री विनोद सिंह, सहायक कार्यरत रहे।

चण्डीगढ़:
दिनांक 8 अक्तूबर, 2020.

विजय वर्धन,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रशासकीय सुधार विभाग।

Review of the Annual Administrative Report of the Administrative Reforms Department, Haryana for the Year 2018-2019

The 25th January, 2021

No. 4/16/2019-RU.—

The Department of Administrative Reforms is the Nodal Agency of Government of Haryana for carrying out Administrative Reforms. The mission of the Department is to act as a facilitator to improve Government functioning through Systemic Changes, Organization and Methods, Eliminating Delays and Maintaining Punctuality in the offices thereby making the administration more sensitive to the aspirations and needs of the people of the State besides developing a mechanism for redressing their grievances on high priority. In addition to these reformative functions, this Department also conducts Works Studies to examine the requirement of Staff for the Government offices which demand additional posts. To promote proactive, responsive, accountable, sustainable and efficient administration at all levels of the Government, the following multipronged strategies are adopted by the Departments :-

(i) Management Studies.

(ii) Identification of grievances prone areas and studies for quick remedial action.

(iii) Management Services.

(iv) Research on general issue of Administrative Reforms.

(v) Reduction of corruption, delay and in-differences in the state machinery.

(vi) Implementation of Right to Information Act, 2005.

(vii) All matters relating to the State Information Commission.

(viii) Implementation of Right to Service Act, 2014.

(ix) All matters relating to the Haryana Right to Service Commission.

(x) All matters relating to the Haryana Governance Reforms Authority

(xi) All matters relating to the setup of Haryana State Administrative Tribunal under Administrative Tribunals Act, 1985 (Central Act 13 of 1985)

2. In pursuance of this and in order to promote good governance practices in the State, the Department of Administrative Reforms offers help and advice to the various Government Departments in Management and Organization & Methods activities which include:

(i) Minimizing and reducing levels of deliberation in the disposal of office work by introducing Single File System.

(ii) Fixing accountability by conducting surprise inspections and review of previous inspections.

(iii) Reduction in Paper Work as a result of review, rationalization and simplification of office forms and procedures.

(iv) Simplification of rules and procedures so as to reduce the number of occasions and purpose for which a citizen has to visit Government Offices.

(v) Regulation of movement of files and other papers by various functionaries of the Government.

(vi) Issuance of the instructions and reiteration thereof on different aspects of employees of various Departments to redress their grievances.

(vii) Action on the requests made by individuals and employees of various Departments to redress their grievances.

3. The Administrative Reforms Department was created as a separate Department in November, 1983. However, its functions and jurisdiction were notified on March 12, 1988.

4. This Department comprises of five Branches which include :-

(i) Administrative Reforms Branch

(ii) Staff Inspection Unit

(iii) Delay Checking Unit

(iv) RTI Cell

(v) Research Unit

5. All Heads of Departments were directed to prepare Annual Action Plans for their Departments for the entire year. They were advised to fix targets in the form of calendar of works and jobs of special importance. Administrative Reforms Department is working to cover all Public Services of State Government under Haryana Right to Service Commission to deliver quality public services to the citizens in a hassle-free manner and eliminate the causes of grievance through significant standards of performance and a sound grievances redressal mechanism.

During the year 2018-19, Administrative Reforms Branch disposed off 25 complaints and disposed off 47 RTI Applications, 07 First Appeals & 15 Second Appeals under RTI Act, 2005. This branch has notified 15 Notifications/Guidelines/Circulars, which are available on the Chief Secretary's Website. During the year, three State Information commissioners were retired from the Commission and three new State Information Commissioners were appointed in this Commission. This branch has notified form C & D Under Section 27 of RTI Act, 2005 for maintaining a Register of penalties imposed and Receipts of imposed penalties in Minor Head & Sub Head to Major Head of other Administrative Services. Up to this year total 370 services have been notified under Haryana Right to Service Act, 2014. This Branch also set up the Haryana State Administrative Tribunal under Administrative Tribunals Act, 1985 (Central Act 13 of 1985) and appointed a Judge, whose name is recommended by Hon'ble Punjab and Haryana High Court.

Staff Inspection Unit was made work-studies of six Branches of Haryana Civil Secretariat i.e Pension, Pay Revision, Press, Health-I, II & III.

Delay Checking Unit have made Surprise Checking on 25.04.2018 of Skill Development & Industrial Training Department, on 28.09.2018 of Employment and Transport Departments, on 25.10.2018 various offices of Education Department situated at Panchkula i.e. District Education Office, District Elementary Education Office, Block

Education Office Pinjor, Sanskariti Model Senior Secondary School Sector-20, Govt. Middle School Devinagar and Govt. Primary School Devinagar and on 20.12.2018 of New Haryana Civil Secretariat Chandigarh.

RTI Cell disposed of, 1426 RTI applications under section 6(3), 85 appeals under section 19(1) and 20 second appeals under section 19(3) under RTI Act, 2005.

Research Unit has issued instructions on 04.04.2018 & 18.10.2018 for prevention of delay of PUCs/Files/Cases and increases the office efficiency respectively and published last year Annual Administrative Report, which is available on the Chief Secretary website. This branch is celebrated the Civil Service day on 21.04.2018 at Red Bisap Panchkula. This branch implementing "Team Haryana for Parivartan Scheme Perform, Reform and Transform" to effectively operationalize this initiative. Each of the 50 blocks have been assigned to Administrative Secretaries/Senior Indian Administrative Services, Indian Police Services and Indian Forest Service's officers for new initiative and perusing existing works/Schemes/ Projects/ Services to be done in time in assigned block.

6. This Department implemented the Right to Information Act, 2005 in the State and established the State information Commission, Haryana. During the year 2018-19, State Information Commission, Haryana disposed of 9153 cases out of 9588 cases, imposed Rs. 62,11,750/- as penalty on 379 cases under section 20(1), an amount of Rs. 9,06,959/- was got from 55 cases, awarded as compensation in 141 cases an amount of Rs. 4,74,000/- under section 19(8)(B), recommended Departmental disciplinary action in 383 cases under section 20(2) of Right to Information Act, 2005. During the year 2018-19, three State Information Commissioners were retired from Commission and three new State Information Commissioners were appointed in this Commission. During this year, commission has spent Rs. 863.59 lacs out of earmarked amount of Rs. 958.30 lacs.

7. To provide for the delivery of service to eligible person within the notified time limits and for matters connected therewith and incidental thereto of all Departments/ Organizations concerned, this Department implemented the Right to Service Act, 2014 in the State. Up to this year, total 370 services have been notified under Haryana Right to Service Act, 2014. In this year commission have disposed off 34 cases out of total received 43 cases and imposed Rs. 53,500/- as penalties on 14 persons and no responsibility was fixed on any persons by the Commission. During the year, Commission has spent Rs. 271.29 lacs.

8. This Department has set up Haryana Governance Reforms Authority (HGRA) to enhance the quality and ease to access of all citizens to various development programs, services and schemes of the State Government and to make the delivery of services harassment and corruption free in the Haryana State. As per notification No. 4/30/2017-RU dated 04.01.2017, Government has constituted an empowerment Committee for ensuring speedy implementation of its recommendations and Government has also constituted 7 Task Groups, which may be setup for specific area, Sectors for assist to HGRA vide orders dated 26.06.2017 and two new Task Groups has also been notified vide orders dated 04.01.2019, now total Task Groups is 9. During this year HGRA have called 8 General Meetings & 17 Task Groups meetings of specific area to recommend the suggestion on various development programs, services and Schemes for simplification and increase of qualities. During this year HGRA have published four Status Reports and spent Rs. 52.17 lacs.

9. There is no pending case in Administrative Reforms Department relating to vigilance enquiry.

10. During the year 2018-19, Shri D. S. Dhesi, IAS, Chief Secretary to Government, Haryana was as Administrative Secretary. Sh. Devender Singh, IAS w.e.f 01.04.2018 to 14.11.2018 and Sh. T.C.Gupta, IAS, w.e.f. 16.11.2018 to 31.03.2019 remained posted as Additional Chief Secretary to Government, Haryana in the Administrative Reforms Department and during the year Smt. Santosh Kumari, worked as Under Secretary, Sh. Rakesh Kumar as Research Officer and Shri Vinod Singh as Assistant.

Chandigrah:
The 8th October, 2020.

VIJAI VARDHAN,
Chief Secretary to Government Haryana,
Administrative Reforms Department.

9052—C.S.—H.G.P., Pkl.